सप्तदश बिहार विधान सभा

सप्तम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-14.12.2022 के लिए मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री सुदामा प्रसाद, स०वि०स० श्री महबूब आलम, स०वि०स० श्री विजय कुमार मण्डल, स०वि०स० श्री अरूण सिंह, स०वि०स० श्रीमती मंजु अग्रवाल, स०वि०स० श्री विनय कुमार, स०वि०स० श्री प्रहलाद यादव, स०वि०स०	''धान का कटोरा भोजपुर-रोहतास सहित 19 जिलों में पैक्सों से सिर्फ उसना चावल कुटवाने के सहकारिता विभाग के फरमान से किसान, पैक्स और मिलर त्राहिमाम कर रहे हैं । सूबे में 4500 अरवा और 160 उसना चावल मिल हैं, जिनके बूते उसना चावल देना असंभव है । पैक्सों का किसानों से धान अधिप्राप्ति बंद है । सरकार के 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद के लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक मात्र 3,90,452.77 मीट्रिक टन ही खरीद हो पाई है । धान खरीद नहीं होने से रब्बी की बुआई और पारिवारिक खर्चों के लिए मजबूर किसान 12-13 सौ रूपये क्वींटल धान बिचौलियों के हाथों बेच रहे हैं । मंहगे कृषि लागत के कारण एक क्वींटल धान पैदा करने में किसानों का तीन हजार रूपया से ज्यादा खर्च होता है, जबकि समर्थन मूल्य 2040 रू० में भी धान नहीं बिक रहा है । अत: लोकहित में 19 जिलों के पैक्सों से सिर्फ उसना चावल की अधिप्राप्ति का फैसला वापस लेने, व्यापार मण्डल-एस.एफ.सी.-एफ.सी.आई. के द्वारा नमी व कागज की अनिवार्यता के बिना किसानों का सम्पूर्ण धान 3500 रू० प्रति क्वींटल खरीदने तथा धान अधिप्राप्ति का समय 31 मार्च तक बढ़ाने के लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	सहकारिता

2.	श्री ललित नारायण मंडल, स०वि०स० श्री निरंजन कुमार मेहता, स०वि०स० श्री फते बहादुर सिंह, स०वि०स० श्री सुधांशु शेखर, स०वि०स०	बाढ़, सुखाड़ या अन्य आपदा के समय सरकार द्वारा पीड़ितों (किसानों एवं मजदूरों) को राहत-राशि देते समय इकाई पंचायत को माना जाता है, जबकि इकाई गाँव को माना जाना चाहिए । साथ ही प्रभावित गाँव में जिस किसी भी किसान का जमीन हो उसे भी उचित राहत मिलनी चाहिए, चाहे किसान दूसरे किसी भी गाँव का निवासी हो । अतएव जनहित में उपरोक्त संशोधन के साथ आपदा राहत राशि पीड़ितों को दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	आपदा प्रबंधन

पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-28/2022- 854 / वि०स०, पटना, दिनांक- 13 दिसम्बर, 2022 ई० ।

प्रतिः- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13.12.22
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-28/2022- 854 / वि०स०, पटना, दिनांक- 13 दिसम्बर, 2022 ई० ।

प्रतिः- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13.12.22
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-28/2022- 854 / वि०स०, पटना, दिनांक- 13 दिसम्बर, 2022 ई० ।

प्रतिः- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / सहकारिता विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13.12.22
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-28/2022- 854 / वि०स०, पटना, दिनांक- 13 दिसम्बर, 2022 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

13.12.22
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

13/12/22